

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-डी.पी.सी./2018/809-0
प्रति,

भोपाल,दिनांक 08/08/2018

1. समस्त, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवार्ये,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त, अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।
3. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान-वेतनमान (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ/1109/1129/2018/
नियम/चार, भोपाल दिनांक 07.06.2018।

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ/1109/1129/2018/नियम/चार, भोपाल दिनांक 07.06.2018 द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन नान मेडिकल असिस्टेंट(एन.एम.ए) तृतीय श्रेणी को समयमान-वेतनमान दिये जाने के निर्देश जारी किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अपर संचालक (प्रशासन) द्वारा अनुमोदित

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(डॉ.सी.बी.सोलकी)

संयुक्त संचालक
स्वास्थ्य सेवाये

पृष्ठ.क्रमांक/2/अवि./सेल-डी.पी.सी./2018/

भोपाल,दिनांक / /2018

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संचालक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवार्ये, स्थानीय कार्यालय।
2. समस्त, संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
3. अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय।
4. संयुक्त संचालक, कुष्ठ /कार्यालय स्थापना, स्थानीय कार्यालय।
5. राज्य कुष्ठ अधिकारी, स्थानीय कार्यालय।
6. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, जिला कुष्ठ अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।

संयुक्त संचालक
स्वास्थ्य सेवाये

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

कमांक एफ 1109/1129/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 7-6-2018
प्रति,

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल

विषय :- मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :- वित्त विभाग के परिपत्र क. एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24-1-2008 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 7-11-2009

राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ 11/1/2008/ नियम/चार दिनांक 24 जनवरी 2008 के अनुसार अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की आयोजित बैठक दिनांक 12-04-2018 की अनुशंसा को संदर्भित आदेश दिनांक 24-1-2008 के परिशिष्ट-1 के अनुसार परिमार्जित करते हुए परिशिष्ट-2 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निम्नांकित संवर्ग को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त अनुसार नीचे अंकित तालिका के कालम 3 में वर्णित सेवा/पद के लिये समयमान की पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

विभाग- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

स. क.	विभागाध्यक्ष	संवर्ग/ पद	वर्तमान पे बैंड + ग्रेड वेतन	प्रथम उच्चतर वेतनमान (पे बैंड+ग्रेड वेतन)	द्वितीय उच्चतर वेतनमान (पे बैंड+ग्रेड वेतन)
1	2	3	4	5	6
1	संचालक स्वास्थ्य सेवाये भोपाल	नान मेडीकल असिस्टेन्ट (एन.एम.ए) तृतीय श्रेणी	5200-20200 +2100	5200-20200 +2400	5200-20200 +2800

3. वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र कमांक 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी 2008 एवं अन्य संगत परिपत्रों में निहित प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(अजय चौबे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 1110/1129/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 7-6-2018
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
 3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
 5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
 6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
 7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
 8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
 9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
 10. रजिस्ट्रार म.प्र.राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
 11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
 12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
 13. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
 14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
 15. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
 16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
 17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
 18. श्वर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/
मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
 19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
 20. समस्त कर्मचारी आयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
 21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
 22. संबंधित संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
 23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय भोपाल
 24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
 25. अध्यक्ष, म0प्र0राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
 26. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
 27. गोर्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।



(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

18